-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.09.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **20 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त मनु द्विवेदी को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अवैध गांजे की तस्करी के मामले में वांछित चल रहा था मनु, पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का इनाम किया गया था घोषित।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा **20 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया** गया। गौरतलब हो कि दिनांक 15.07.2024 को थाना कालिंजर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कालिंजर-सतना बार्डर से अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था जबकि 02 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये थे। अभियुक्तों के कब्जे से 55.26 किलोग्राम अवैध सूका गांजा बरामद किया गया था। फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा दोनों अभियुक्तों – 1. मनु द्विवेदी उर्फ प्रभात द्विवेदी पुत्र सुनील द्विवेदी नि0 महारथी टोला चौकी बाकरगंज थाना कोतवाली नगर बांदा व 2. सागर पाण्डेय पुत्र जगदीश पाण्डेय नि0 कस्बा व थाना पैलानी जनपद बांदा, पर **20-20 हजार रुपये का इनाम** घोषित किया गया था जिसके क्रम में आज दिनांक 27/09/2024 को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनु द्विवेदी उपरोक्त को रामनगर तिराहा थाना कालिंजर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनु द्विवेदी उर्फ प्रभात द्विवेदी पुत्र सुनील द्विवेदी नि0 महारथी टोला चौकी बाकरगंज थाना कोतवाली नगर बांदा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कालिंजर श्री रामदिनेश तिवारी
2. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्र
3. म0उ0नि0 आकांक्षा
4. हे0कां0 गोकुलेश मिश्र
5. कां0 करन बेलदार